Legal Express: An International Journal of Law **ISSN 2394-465X**
Vol. VII, Issue-III September 2021

मुस्लिम विधि के अन्तर्गत मर्जुल-मौत संव्यवहार: विधिक अध्ययन

डॉ. सुहेल अजीम कुरैशी
सदस्य, विधि अध्ययन मण्डल
जीवाजी विश्वविद्यालय,
ग्वालियर (म.प्र.)

सारांश

मर्जुल-मौत को मृत्युदायी रोग भी कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसे रोग/मर्ज़ से पीड़ित हो, जिससे कि उसके मन में यह आशंका/भय हो कि उसकी उसके परिणामतः मृत्यु हो जाएगी। वह मुर्जल-मौत कहलाता है। किन्तु यदि वह स्वस्थ हो जाता है तो मुर्जलमौत नहीं माना जा सकता है। मर्जुल-मौत के दौरान मुस्लिम विधि में हिबा, वसीयत, वक्फ, विक्रय, ऋण लेने की अभिस्वीकृति, उन्मुक्ति तथा वैवाहिक संविदा मैहर ऋण व तलाक के संव्यवहार किए जा सकते हैं। इस दौरान किए गए संव्यवहार मर्जुल-मौत संव्यवहार कहलाते हैं। सम्पत्ति से सम्बन्धित हिबा, वसीयत, वक्फ, संव्यवहारों में हिबा व वसीयत के मिश्रित नियम लागू होते हैं। मर्जुल मौत के दौरान किए गए हिबा, वसीयत न तो पूरी तरह से हिबा माने जा सकते हैं और न वसीयत माने जाते हैं। इसमें रोग में चलते पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु होना आवश्यक है यदि वह स्वस्थ हो जाता है मर्जुल-मौत नहीं है।

बीजशब्द: मुस्लिम विधि, मर्जुल मौत

परिचय

मर्जुल-मौत को मृत्युदायी रोग भी कहते है। इस का शाब्दिक अर्थ, मर्ज व मौत से मिलकर बना है अर्थात् रोग व मृत्यु। इसमें पीड़ित व्यक्ति को सदैव यह आशंका रहती है कि रोग के चलते उसकी मृत्यु हो जायेगी। बेली के अनुसार ऐसा रोग जिसके चलते मृत्यु की सर्वाधिक सम्भावना होती है। सर डी एफ मुल्ला कहते हैं कि इस दौरान यह रोग मृत्यु का भय उत्पन्न करता है, जबकि हिदाया के शब्दों में यदि मृत्यु किसी अन्य कारण के हो जाए तो भी परिणाम मर्जुल-मौत के ही माने जाएँगे। इसमें मृत्यु की आशंका, रोग की गम्भीरता एवं रोग चलते रहने की लम्बे समयावधि मुख्य तत्व होते हैं।

मर्जुल-मौत क्या है

मर्जुल-मौत अरबी शब्द है यह हिन्दी में मृत्युदायी रोग के नाम से जाना जाता। मर्जुल-मौत एक मर्ज़ व दूसरा मौत शब्द से मिलकर बना है। मर्ज़ अर्थात् रोग या बीमारी से पीड़ित व्यक्ति या मनुष्य, जिसको कि सदैव उस मर्ज़ या रोग से मृत्यु होने की आशंका बनी रहे कि उसकी उसके चलते मृत्यु या मौत कारित हो सकती या हो जाएगी।

मर्ज़-उल-मौत का तात्पर्य मृत्युदायी रोग से पीड़ित होना है, जिसके चलते पीड़ित में मृत्यु की आशंका बनी रहे।

परिभाषा

मर्जुल-मौत सर्वमान्य तौर पर बेली के अनुसार ऐसा रोग जिसके परिणामतः मृत्यु या मौत की अत्यधिक सम्भावना होती हो। (बेली सार संग्रह, 522)

सोफिया बेगम बनाम अब्दुल रिवाज (1945 बम्बई 438) के अनुसार यह व्यक्तिपरक बीमार व्यक्ति में मृत्यु की आशंका उत्पन्न करता है।

सर डी.एफ. मुल्ला के अनुसार यह वह रोग है जो रोगी में मृत्यु का भय उत्पन्न करता है।

हिदाया के अनुसार- मर्जुल-मौत के दौरान रोगी की यदि मृत्यु किसी अन्य कारण से भी हो जाए तो परिणाम मर्जुल-मौत के ही माने जाएँगे। अमीर अली के अनुसार रोगी के मन-मस्तिष्क में भयावह स्थिति पैदा कर देता है।

मर्जुल-मौत में रोगी की बीमारी के साथ-साथ उसका प्रभाव उसके मस्तिष्क पर भी होता है। मृत्यु एक प्रकार का भय ही होता है, जो उसकी मृत्यु तक कारित कर सकता है। रोग की अवधि महत्वपूर्ण न होकर प्रकृति एवं बाह्य लक्षण भी महत्वपूर्ण होते हैं।

मर्जुल-मौत के दौरान किए जाने वाले प्रमुख संव्यवहार के अन्तर्गत-

1. मर्जुल-मौत के अन्तर्गत हिबा एवं वसीयत - चल एवं अचल दोनों प्रकार की सम्पत्तियोंका किया जा सकता है।
2. मर्जुल-मौत के अन्तर्गत वक्फ - एक तिहाई से अधिक नहीं।
3. मर्जुल-मौत के अन्तर्गत विक्रय - स्वस्थ होने पर शून्य या अमान्य
4. मर्जुल-मौत के अन्तर्गत विवाह मैहर, तलाक सुन्नी शिया विधि में तलाक का प्रभाव
5. ऋण की अभिस्वीकृति एवं उन्मुक्ति आते हैं।

मर्जुल-मौत के आवश्यक तत्वों के अन्तर्गत-

मर्जुल-मौत की पहचान करना-

1. **रोग की गम्भीरता-** मर्जुल-मौत की अवधारणा/ उपधारणा करने हेतु रोग बहुत गम्भीर प्रकृति का होना चाहिए। जिससे रोगी व्यक्ति के मन में यह डर या आशंका घर कर जाए कि उसका परिणाम उसकी मृत्यु ही है तथा लम्बे समय से रोग ग्रसित होना जरुरी है।
2. **मृत्यु की आशंका-** रोग ऐसा होना जरुरी है कि मन में ऐसी भावना/ डर घर कर जाए कि मृत्यु अवश्यम्भावी है या उसके परिणामस्वरूप मृत्यु हो जाएगी तो मर्जुल-मौत ही माना जाएगा, किन्तु रोगी यदि अपने ज्ञान अध्यात्म से यह सोचने लगे कि मृत्यु हो जाएगी तो मर्जुल-मौत नहीं माना जाएगा।

रोग की गम्भीरता एवं मृत्यु की आशंका के अन्तर्गत-

1. रोग लम्बे समय से चल रहा हो (रोग लम्बे समय एक वर्ष से चल रहा हो तथा रोगी उक्त रोग से अच्छा नहीं होना चाहिए कुछ रोगों में एक हफ्ते में हुई मौत मर्जुल-मौत मानी जा सकती है। कुछ मामलों में एक वर्ष का रोग भी मर्जुल-मौत नहीं हो सकता। इसके कोई निश्चित नियम न होकर मृत्युदायी रोग विशेष मामलों में तथ्यों पर आधारित होता है।
2. मुमताज अहमद बनाम बसीउलनिसा (एआईआर 1948 अवध) के मुकदमे में यह निर्णीत किया गया कि मर्जुल-मौत तभी माना जाएगा। जब उस दौरान किया गया हिबा मृत्यु की अवश्यम्भाविता की आशंका के प्रभाव में ही किया गया हो। इसकी पहचान रोगी के मन में भय हो जाए कि वह अब स्वस्थ नहीं हो पाएगा तथा उसकी मृत्यु हो ही जाएगी।

3. अब्दुल हाफिज़ बनाम साहिबा बी (एआईआर 1975 बॉम्बे 165) के वाद में अस्सी वर्ष से अधिक का व्यक्ति महज़ चार दिनों से बीमार था। अपनी सम्पत्ति का उसने उस दौरान मर्जुल-मौत हिबा कर दिया। बम्बई उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि हिबा मर्जुल-मौत के दौरान किया गया था। इसमें यह सिद्ध होना जरुरी है कि रोगी के मन में उस समय मृत्यु की आशंका थी और वह बीमारी के चलते परिणामस्वरूप मर गया।

मर्जुल-मौत के दौरान रोग की अवधि के सम्बन्ध में-

हिदाया के अनुसार रोगी लम्बे से रोगग्रस्त होना चाहिए। जिसकी अवधि एक वर्ष तक रही हो और रोगी उसका आदी/ अभ्यस्त नहीं होना चाहिए।

किन्तु वर्तमान परिवेश में रोग पहचान हेतु इस तरह की अवधारणा नहीं की जा सकती है क्योंकि इस सम्बन्ध में स्पष्ट व निश्चित नियमों का अभाव है। कुछ मामलों में एक हफ्ते की बीमारी को भी मर्जुल-मौत माना गया है, कुछ में एक वर्ष से अधिक का रोग भी मर्जुल-मौत नहीं मान्य किया गया है।

मर्जुल-मौत के दौरान किए जाने वाले प्रमुख संव्यवहार-

1. **मर्जुल-मौत के दौरान हिबा एवं वसीयत-** मर्जुल-मौत संव्यवहारों में प्रमुख रूप से मर्जुल-मौत के दौरान किए गए हिबा को वसीयत के रूप में मान्यता प्राप्त है। हिबा होने के बावजूद भी इसको वसीयत के रूप में ही प्रभावशील माना जाता है। जबकि की गई वसीयत, वसीयत के रूप में मान्य है। उसमें समस्त वसीयत के नियम ही लागू होते हैं। अर्थात् वसीयत व हिबा के मिश्रित नियम लागू होते हैं।

अर्थात् यदि कोई व्यक्ति मर्जुल-मौत के दौरान हिबा करता है और यह सिद्ध हो जावे कि वह उस समय मर्जुल-मौत से पीड़ित था तो भी हिबा होने के बावजूद वसीयत ही माना जाएगा।

लार्ड बकले के अनुसार मर्जुल-मौत के दौरान किया गया हिबा न तो पूरी तरह से हिबा है और न ही वसीयत माना जा सकता है। (बेयोन्ट बनाम इवबैक (1902) 1 चान्सरी, फैज़ी आऊट लाइन ऑफ़ मोहम्मडन लॉ पृष्ठ 370)

मर्जुल-मौत के दौरान किए गए हिबा को वसीयत के रूप में मान्यता प्रदान करने हेतु निम्न तत्व होना आवश्यक है-

1) हिबा विधि सम्मत- मुस्लिम विधि के अनुसार होना चाहिए।
2) उक्त हिबा को मर्जुल-मौत के दौरान ही होना चाहिए तैयब जी के अनुसार किसी रोग को मर्जुल-मौत मानने हेतु उसके समस्त आवश्यक तत्वों की पूर्ति होना जरुरी है।
3) मर्जुल-मौत के दौरान किए गए हिबा पर वसीयत के निर्बन्धन वसीयती दान के रूप में लागू होते हैं।

2. **मर्जुल-मौत के दौरान वक्फ-** मर्जुल-मौत के दौरान किए गए वक्फ पर भी वही नियम लागू होते हैं जो कि हिबा एवं वसीयत पर लागू होते हैं। अर्थात् केवल सम्पत्ति के 1/3 भाग पर प्रभावशील रहेगा तथा एक तिहाई से अधिक हेतु अन्य वैध उत्तराधिकारियों की सहमति आवश्यक होती है।

मुमताज अहमद बनाम वसीउलन्निसा में निर्धारित किया गया कि मर्जुल-मौत संव्यवहार, वक्फनामा करते समय प्राणों की आशा नहीं छोड़ी हो वहाँ मर्जुल-मौत सिद्धान्त लागू नहीं होता अर्थात् एक तिहाई से अधिक सम्पत्ति का वक्फ भी मान्य होगा।

3. **मर्जुल-मौत के दौरान विक्रय-** मर्जुल-मौत के दौरान किए गए संव्यवहारों में समस्त निर्बन्धन व नियम बिना प्रतिफल व प्रतिकर के हस्तान्तरणों पर लागू होते है। प्रतिकर या प्रतिफल के बदले में विक्रय या अन्य संव्यवहारों पर मर्जुल-मौत के नियम लागू न होकर विक्रय के नियम लागू होते हैं।

4. **मर्जुल-मौत के दौरान ऋणों की अभिस्वीकृति एवं उन्मुक्ति-** मर्जुल-मौत के दौरान किसी ऋण/ कर्ज़ के भुगतान करने का दायित्व लिया जाता है तो मर्जुल-मौत ऋण की अभिस्वीकृति कहा जाता है। जबकि मर्जुल-मौत के दौरान ऋण की उन्मुक्ति वसीयत दान योग्य केवल 1/3 हिस्से हेतु ही मान्य होती है।

1) कोई भी अभिस्वीकृति उत्तराधिकारी के हित में जाने या सम्पदा पर बन्धनकारी नहीं हो सकती है तथा उत्तराधिकारी पक्ष में की गई ऋण की अभिस्वीकृति ऋण का निश्चय करने वाली साक्ष्य नहीं माना जा सकता है।
2) जो उत्तराधिकारी नही हो, उसके पक्ष या हित में अभिस्वीकृति की जाती है तो वह वसीयतदार व उत्तराधिकारी के विरुद्ध निश्चयात्मक होकर मान्य होती है। अगर मर्जुल-मौत के दौरान ऋण की अभिस्वीकृति की जाती है, किन्तु मर्जुल-मौत के दौरान की अभिस्वीकृति का भुगतान स्वस्थ अवस्था के ऋण की अभिस्वीकृति के बाद ही भुगतान किया जाता है।

5. **मर्जुल-मौत के दौरान वैवाहिक अन्तर्गत आने वाले संव्यवहार एवं उनका प्रभाव-**

1) **विवाह-** शरय-उल-इस्लाम के अन्तर्गत किसी रोगी द्वारा संविदा आधारित विवाह, विवाह की पूर्णता पर निर्भर करेगा। यदि विवाह की पूर्णता का अभाव हो तथा रोगी की मृत्यु हो जाती है तो विवाह अमान्य/ शून्य माना जाएगा। अर्थात् स्त्री को मैहर व उत्तराधिकार के अधिकार से वंचित माना जाएगा, किन्तु यदि मर्जुल-मौत के दौरान कोई स्त्री स्वस्थ पुरुष से विवाह करे तो उसको मैहर व उत्तराधिकार के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। कोई भी रोगी पुरुष स्वस्थ होने के बाद विवाह की अमान्यता को पूर्णता से दूर कर सकता है।
2) **मैहर ऋण की उन्मुक्ति-** यदि कोई रोगी स्त्री अपने पति को मैहर ऋण से उन्मुक्त, मैहर दान करके ही कर सकती है। यह उन्मुक्ति तब मान्य होगी जब उसके उत्तराधिकारी सहमति प्रदान कर दें किन्तु आपत्ति उस स्त्री के मरने के बाद ही उठाई जा सकती है, जीवन काल में नहीं।
   जबकि शरीयत के अनुसार स्त्री को कभी भी अपने पति का मैहर माफ करने/ दान करने की आज्ञा प्रदान करता है, जो कि सर्वमान्य है।
3) **मर्जुल-मौत के दौरान तलाक-** मर्जुल-मौत के दौरान तलाक को बोलकर शिया व सुन्नी दोनों प्रकार की मुस्लिम विधि में प्रारम्भ से ही मान्य है।
   यदि कोई रोगी अपनी पत्नी को अप्रतिसंहरणीय (तलाक-उल-बेन) के रूप में तलाक बोलकर देता है किन्तु बाद में स्वस्थ हो जाता है पत्नी इददतकाल गुजार रही हो उस समय यदि मृत्यु हो जाती है तो पत्नी उत्तराधिकार के अन्तर्गत पति की सम्पत्ति प्राप्त नहीं कर सकती है। यदि तलाक प्रतिसंहरणीय (रजा-इ-तलाक) के रूप में दिया गया है तो उसके उत्तराधिकार के अधिकार जीवित रहेंगे।
4) **सुन्नी व शिया विधि में तलाक का प्रभाव-** शिया विधि में तलाक बोलकर किसी भी प्रकार से दिया गया हो, तलाक की तारीख के एक वर्ष के भीतर मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को अपने पति की सम्पत्ति को उत्तराधिकार के अधिकार के अनतर्गत प्राप्त कर सकती है, किन्तु अधिकार प्राप्ति हेतु यह जरुरी है कि पत्नी ने दूसरा विवाह न किया हो।

निष्कर्ष

उक्त शोध अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि जब मर्ज/रोग या बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को मृत्यु की आशंका या भय उत्पन्न करता है तो वह मर्जुल-मौत कहलाता है तथा उस दौरान किए गए संव्यवहार मर्जुल-मौत संव्यवहार कहलाते हैं। सम्पत्ति से सम्बन्धित संव्यवहारों में हिबा व वसीयत की मिश्रित मुस्लिम विधि लागू होती है। कोई मर्ज मर्जुल-मौत तब होगा जब दान के समय दाता ऐसे रोग से पीड़ित हो जो कि उसकी

मृत्यु का तात्कालिक कारण भी हो। रोग की प्रकृति लक्षण ऐसे होने चाहिए जोकि रोगी के मन में मृत्यु का भय/ आशंका उत्पन्न हो जाए। रोग ऐसा हो, जिससे सामान्य नित्य के कार्य में भी असमर्थ हो जाए यहाँ तक कि नमाज भी अदा न कर पाता हो। रोग लम्बे समय से गम्भीर रूप लिया हुआ होना चाहिए।

मुस्लिम विधि में मर्जुल-मौत के दौरान जो संव्यवहार होते हैं। उनमें प्रमुख रूप से-

1 हिबा एवं वसीयत

2 मर्जुल-मौत के दौरान वक्फ

3 मर्जुल-मौत के दौरान विक्रय

4 मर्जुल-मौत के दौरान ऋणों की अभिस्वीकृति एवं उन्मुक्ति

5 मर्जुल-मौत के दौरान विवाह, मैहर ऋण तथा तलाक के संव्यवहार एवं शिया सुन्नी विधि में तलाक का प्रभाव शामिल होकर मुस्लिम विधि के नियमों के अनुसार मान्य होते है।

किन्तु यदि रोगी मर्जुल-मौत बीमारी से मुक्ति पा लेता है तो मर्जुल-मौत नहीं माना जाएगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अल-कुरान, हदीस
2. मुस्लिम विधि: अकल अहमद
3. आउट लाइन ऑफ़ मोहम्मडन लॉ फैजी, मोहम्मडन लॉ: डी.एफ. मुल्ला
4. तैयबजी डायजस्ट ऑफ़ मोहम्मडन लॉ बेली, शरीयत एक्ट 1937
5. मुस्लिम विधि: खुर्शीद अहमद नकवी, पारस दीवान, आर.के. सिन्हा
6. वेबसाइट
7. पत्र-पत्रिकाएँ